न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/156/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दयाराम यादव पुत्र श्री सेढूराम, निवासी–ग्राम–तलवाड, पो. जागुवास, तहसील–बहरोड (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 12.09.18

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 24.10.18

1. उभयपक्ष उपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 02.08.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांकः 11.07.18 को राजस्व वाद संख्या 147/16 में राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांकः 02.07.18 की अवहेलना करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर आज दिनांक तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ उपलब्ध कराने बाबत प्रत्यर्थी से सूचना की वांछा की गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा नियत समय गुजरने के बाद भी प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.09.18 के माध्यम से, जो इस कार्यालय को दिनांकः 05.09.2018 को प्राप्त हुआ, के जरिये प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2018/793–94 दिनांकः 14.09.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया। परीक्षण पर पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उनके प्रथम आवेदन दिनांकः 02.08.18 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचित नहीं किया जाकर इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर कार्यालय से जारी नोटिस के अनुक्रम में सूचना आवेदन पर विनिश्चय कर पत्र दिनांकः 14.09.2018 के माध्यम से सूचित किया है जो उचित नहीं है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रेषित सूचना में प्रत्यर्थी का यह कथन कि " प्राप्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 02.08.18 में वर्णित वाद संख्या 147/2016 में प्रश्न का जवाब चाहा गया है जिससे स्पष्ट नही हो रहा है कि आप क्या सूचना प्राप्त करना चाहते हैं अतः चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण, राजस्थान सूचना आयोग जयपुर के निर्णय दिनांकः 08.01.2010 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के अनुसार

पूर्व की भांति न्यायिक निर्णयों, आदेशों एवं दस्तावेजों की प्रतियॉ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अतः आप निर्णय आदेशों एवं दस्तावेजों की नकल आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर सकते हैं'' के माध्यम से निर्णय की गलत व्याख्या की गई है।

8. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील प्रकरण संख्या 2094/2009 ब.उ. सन्तोष गर्ग बनाम अतिरिक्त निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर में दिनांकः 08.01.2010 को निर्णय पारित कर उद्दरित किया है कि ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार अधिनियम का अध्यारोही (Overriding) प्रभाव होने के कारण राजस्व न्यायालयों एव मण्डल के न्यायिक आदेशों/दस्तावेजों/निर्णयों की प्रतिलिपियॉ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान किये जाने से इस आधार पर इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने की कार्यवाही रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल के तहत ही की जावेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किसी आवेदक द्वारा चाही गई सूचना को केवल धारा 8 व 9 के अनुसार ही इन्कार किया जा सकता है।''

9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.08.18 में वर्णित आवेदन दिनांकः 11.07.18 के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से की गई कार्यवाही बाबत दस्तावेजी सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर पंजीकृत डाक के माध्यम से अधिकतम 10 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

10. प्रत्यर्थी को सावचेत् किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदकों द्वारा राजस्व न्यायालय अंतर्गत न्यायिक निर्णयों, आदेशों एवं दस्तावेजों की प्रतियॉ चाहे जाने पर नियमानुसार प्रमाणित कर नियत समयावधि में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(ओ पी जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)